



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 07.02.2024

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त को क्रमशः 02 वर्ष व 01 वर्ष के कारावास व 3,100/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।**

### कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.06.2001 को वादी श्री जगदीश पुत्र मखन सिंह निवासी ग्राम भजडावाला कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण सन्तराम पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम भजडावाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर आदि ने मिलकर वादी व वादी की पत्नी के साथ मारपीट की गयी। इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 111/2001 धारा 323/324/504 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 07.02.2025 को मा0 न्यायालय, JM-II, नगीना द्वारा मु0अ0सं0 111/2001 धारा 323/324/504 भादवि से संबंधित अभियुक्त 1- संतराम पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम भजडावाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के साधारण कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त 2- परवीन पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम भजडावाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1,100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

### दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

- 1- सन्तराम पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम भजडावाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
- 2- परवीन पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम भजडावाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना हीमपुर दीपा

दिनांक 07.02.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 15/2025 धारा  
191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/109(1)/333/324(4) में वांछित अभियुक्त को किया  
गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.02.2025 को वादी श्री महबूब पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 06.02.2025 को अभियुक्तगण 1- सलमान पुत्र सलाम 2- आदिल पुत्र सरीफ 3- हारुन पुत्र रहीम 4- समीर पुत्र रहीम 5- जहांगीर पुत्र रहीम 6- सरताज पुत्र सलाम 7- सराफत पुत्र सरीफ निवासीगण ग्राम पीपलीजट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा पुरानी रंजिश के चलते वादी के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से वादी व वादी के परिजनों पर वार किया गया तथा घर में रखा सामान तोड़ फोड़ करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी ।

इस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 15/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/109(1)/333/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।

### कार्यवाही –

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त हारुन पुत्र रहीम निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हारुन पुत्र रहीम निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 199/16 धारा 147/323/342/506 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 15/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/109(1)/333/324(4) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 महेन्द्र सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।

2-मुख्य आरक्षी प्रकाशवीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।

3- आरक्षी शिव शंकर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 07.02.2025

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 28/2025 धारा 115(2)/352/351(2)/109 बी0एन0एस0 व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.02.2025 को वादी ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि शाहरुख पुत्र जफर उर्फ बाबू निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा दिनांक 02.02.2025 को वादी के 14 वर्षीय पुत्र के साथ गाली-गलौच करते हुए डरा-धमकाकर गलत काम किया गया तथा मारपीट की गयी एवं जान से मारने की धमकी दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 28/2025 धारा 115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 07.02.2025 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शाहरुख पुत्र जफर उर्फ बाबू निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में धारा 109 बीएनएस वृद्धि की गयी । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

शाहरुख पुत्र जफर उर्फ बाबू निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.का0 1836 नसीब कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 07.02.2025

**जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	कोतवाली शहर	इन्तजार पुत्र निसार निवासी ग्राम झलरा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ।
2	कोतवाली देहात	अब्दुल खालिक पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम अलीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
3	कोतवाली देहात	आमिर पुत्र अब्दुल खालिक निवासी ग्राम अलीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 07.02.2025

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान अन्तर्जनपदीय शातिर चोर को घायल अवस्था में अवैध शस्त्र, चोरी की घटना मे प्रयुक्त एक लोहे सब्बल व एक सैन्ट्रो कार सहित किया गया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 06/07.02.2025 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति चोरी के इरादे से ग्राम रोशनपुर जागीर स्थित एक सिमेंट स्टोर की दुकान के आस पास एक रॉड जैसी वस्तु लेकर घूम रहा है । जिसके पास एक कार भी है। सूचना पर थाना नूरपुर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा कि उक्त संदिग्ध एक रॉड से दुकानो के तालों को उलट पलट कर देख रहा है तथा पास ही एक सैन्ट्रो कार खडी है । पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिस दौरान एक गोली आरक्षी राहुल कुमार की बांयी बाजू में लगी । पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के बाये पैर में गोली लगी, जिसे मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया ।



घायल अभियुक्त ने अपना नाम मौहम्मद अफरोज उर्फ बिल्ली पुत्र मौहम्मद यासीन निवासी ग्राम हमीरपुर माजरा मिल्क थाना टाण्डा जनपद रामपुर बताया । पुलिस द्वारा घायल पुलिसकर्मी व घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी नूरपुर में भर्ती कराया गया ।

अभियुक्त मौहम्मद अफरोज उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, एक लोहे की सब्बल व एक सैन्ट्रो कार नं0 UP16J-8456 बरामद की गई । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 48/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



### पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दो दिन पहले रात्रि मे उसने ग्राम रोशनपुर जागीर मे सब्बल से एक दुकान का शटर उठाकर उसमे चोरी करने का प्रयास किया था जिसमे वह सफल नहीं हो सका तथा पकडे जाने के डर से अपनी सैन्ट्रो कार मे बैठकर वहां से फरार हो गया था । उक्त घटना के संबंध मे थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 45/2025 धारा 62/305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत है । आज फिर दोबारा वह ग्राम रोशनपुर जागीर मे चोरी की घटना को अंजाम देने के लिये आया था ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौहम्मद अफरोज उर्फ बिल्ली पुत्र मौहम्मद यासीन निवासी ग्राम हमीरपुर माजरा मिल्क थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

## बरामदगी –

1. एक अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
2. चोरी की घटना मे प्रयुक्त एक लोहे की सब्बल तथा एक सैन्ट्रो कार नं0 UP16J-8456

## आपराधिक इतिहास मौहम्मद अफरोज उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 63/2020 धारा 307/401 भादवि थाना शाहबाद जनपद रामपुर।
2. मु0अ0सं0 234/2020 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना शाहबाद जनपद रामपुर।
3. मु0अ0सं0 301/2022 धारा 8/20 NDPS ACT थाना टांडा जनपद रामपुर।
4. मु0अ0सं0 382/2022 धारा 379/427/436 भादवि थाना टांडा जनपद रामपुर।
5. मु0अ0सं0 87/2024 धारा 8/20 NDPS ACT थाना टांडा जनपद रामपुर।
6. मु0अ0सं0 155/2024 धारा 380/411 भादवि थाना बहजोई जनपद सम्भल।
7. मु0अ0सं0 173/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बहजोई जनपद सम्भल।
8. मु0अ0सं0 599/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना टांडा जनपद रामपुर।
9. मु0अ0सं0 45/2025 धारा 62/305(a)/331(4) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
10. मु0अ0सं0 48/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्री देवीप्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
5. का0 2573 हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
6. का0 1287 नीरज पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
7. का0 1886 अमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
8. का0 2588 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
9. का0 1956 आर्यन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
10. का0 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
11. का0 1865 विकास कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
12. का0 1806 कुलदीप खोखर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर

दिनांक – 07.02.2025

**थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 15/25 धारा 65(2)/351(2) बीएनएस व धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.02.2025 को वादी ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त राजू पुत्र दलीप सिंह निवासी ग्राम बीड तालाब थाना करनाल जनपद भटिंडा पंजाब वादी की नाबालिग पुत्री व भतीजी को शादी कार्यक्रम मे से घर पर छोडने के बहाने से अपने साथ ले गया तथा वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 15/25 धारा 65(2)/351(2) बीएनएस व धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही विवरण

थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त राजू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

### अभियुक्त का नाम व पता –

राजू पुत्र दलीप सिंह निवासी ग्राम बीड तालाब थाना करनाल जनपद भटिंडा पंजाब ।

### पुलिस टीम –

थाना बढापुर पुलिस टीम